न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

अ0सं0–146/2018
धारा–498ए,304बी भा0द0सं0
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट

31.05.2019

आवेदक/अभियुक्त दिवाकर द्विवेदी द्वारा अ0सं0–146/2018 अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0द0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे फर्जी फंसाया गया है। उपरोक्त तथ्यों पर जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पर जो अभियोग लगाया गया है, वह गम्भीर एवं अजमानतीय प्रकृति का व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतएव मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दिवाकर द्विवेदी द्वारा अ0सं0–146/2018 अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0द0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

सी0जे0एम0
चित्रकूट